पत्रांकः 1210 / सं०खा०नि० / पी०डी०एस० / 2017

प्रेषक,

आयुक्त,
देवीपाटन मण्डल,
गोण्डा।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
गोण्डा, बलरामपुर, बहराइच एवं श्रावस्ती।

दिनांकः 19 जुलाई,2017

विषयः– **सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत खाद्यान्न वितरण व्यवस्था का अनुश्रवण करने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

जैसा कि आप अवगत हैं कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में आच्छादित अन्त्योदय परिवार एवं पात्र गृहस्थियों को आवंटित खाद्यान्न उन्हें उपलब्ध कराने के लिए शासन द्वारा निर्धारित त्रिस्तरीय सत्यापन व्यवस्था का कड़ाई से पालन कराना एवं अनुश्रवण किया जाना अत्यन्त आवश्यक है। इसके लिए निम्नलिखित निर्देशों का अनुपालन किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है :–

01. जनपद को आवंटित खाद्यान्न की मात्रा का भारतीय खाद्य निगम के डिपो से ब्लाक स्तरीय गोदामों पर आवंटन के अनुरूप प्रेषण सुनिश्चित कराया जाना जिला खाद्य विपणन अधिकारी का दायित्व है। जिला खाद्य विपणन अधिकारी प्रतिदिन ब्लाक गोदामों को भारतीय खाद्य निगम से ब्लाक गोदामों को प्रेषित होने वाले खाद्यान्न का ट्रकवार, योजनावार वितरण व्हाट्सएप के माध्यम से गोदाम प्रभारी, जिला पूर्ति अधिकारी, सम्बन्धित उपजिलाधिकारी, एवं जिलाधिकारी को प्रेषित करायेंगे।
02. जिला पूर्ति अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि माह की 20 तारीख तक सभी सस्ता गल्ला विक्रेताओं द्वारा विभागीय खाते में आवंटन के अनुरूप धनराशि जमा करा दी जाए।
03. ब्लाक गोदाम पर वितरण से पूर्व प्रथम स्तरीय सत्यापनकर्ता के रूप में निर्दिष्ट अधिकारी द्वारा माह की 21 तारीख को स्वयं सत्यापन किया जाए। सत्यापन सत्यापनकर्ता अधिकारी द्वारा गोदाम के स्टॉक रजिस्टर पर अपने हस्ताक्षर के साथ नाम, पदनाम एवं मुहर भी अंकित की जायेगी। निर्दिष्ट अधिकारी से भिन्न किसी अन्य अधिकारी द्वारा प्रथम स्तरीय सत्यापन मान्य नहीं होगा। जिला पूर्ति अधिकारी व्हाट्सएप ग्रुप एवं जिला खाद्य विपणन अधिकारी के माध्यम से सभी गोदाम प्रभारियों/विपणन निरीक्षकों को प्रथम स्तरीय सत्यापन अधिकारी सत्यापनकर्ता के आदेश से अवगत करायेंगे। जिला पूर्ति अधिकारी माह की 21 तारीख की शाम को सभी से रिपोर्ट प्राप्त कर यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी ब्लाक गोदामों का प्रथम स्तरीय सत्यापन निर्दिष्ट अधिकारी द्वारा कर लिया गया है।
04. ब्लाक स्तरीय गोदामों से सस्ता गल्ला विक्रेताओं द्वारा खाद्यान्न निगर्मन के समय द्वितीय स्तरीय सत्यापनकर्ता की उपस्थिति में ही खाद्यान्न का निगर्मन गोदाम प्रभारी द्वारा किया जायेगा। यदि किसी गोदाम पर द्वितीय स्तरीय सत्यापनकर्ता कार्मिक उपलब्ध नहीं होता है, तो गोदाम प्रभारी/विपणन निरीक्षक सम्बन्धित उपजिलाधिकारी एवं जिला पूर्ति अधिकारी को तत्काल व्हाट्सएप के माध्यम से लिखित सूचना प्रेषित करेंगे एवं दूरभाष पर भी बतायेंगे। सम्बन्धित अधिकारी द्वारा द्वितीय स्तर पर सत्यापनकर्ता के विरुद्ध उचित कार्यवाही करते हुए तत्काल किसी वैकल्पिक सत्यापनकर्ता को नामित कर ब्लाक गोदाम पर भिजवाया जायेगा। किसी भी दशा में द्वितीय स्तरीय सत्यापनकर्ता की अनुपस्थिति में सस्ता गल्ला विक्रेताओं को निगर्मन का कार्य नहीं किया जायेगा। यदि द्वितीय स्तरीय सत्यापनकर्ता कर्मी की अनुपस्थिति के कारण खाद्यान्न निगर्मन का कार्य नहीं होता है, तो इसके लिए सम्बन्धित आपूर्ति निरीक्षक एवं उपजिलाधिकारी उत्तरदायी होंगे।

क्रमशः.............02 पर

05. माह की 21 तारीख से माह की अंतिम तारीख 30/31 तक खाद्यान्न का निगर्मन सस्ता गल्ला विक्रेताओं को किया जाता है। इस निगर्मन हेतु ग्रामीण क्षेत्रों के लिए सम्बन्धित उपजिलाधिकारियों एवं शहरी/टाउन एरिया क्षेत्रों हेतु जिला पूर्ति अधिकारी द्वारा तिथिवार सस्ता गल्ला विक्रेताओं का रोस्टर बना हुआ है। गोदाम प्रभारी इस रोस्टर के अनुसार सस्ता गल्ला विक्रेताओं को निगर्मन सुनिश्चित करेंगे तथा प्रतिदिन जिस सस्ता गल्ला विक्रेताओं को खाद्यान्न का निगर्मन होगा, उसका विवरण/सूचना व्हाट्सएप के माध्यम से सम्बन्धित उपजिलाधिकारी, जिला पूर्ति अधिकारी एवं जिला खाद्य विपणन अधिकारी को गोदाम प्रभारी द्वारा प्रेषित की जायेगी। उपजिलाधिकारी इस विवरण के अनुसार यह सुनिश्चित करेंगे कि माह की अंतिम तारीख तक सस्ता गल्ला विक्रेताओं को खाद्यान्न का निगर्मन हो जाये। गोदाम प्रभारी से प्राप्त सस्ता गल्ला विक्रेतावार खाद्यान्न निगर्मन के विवरण के अनुसार त्रिस्तरीय सत्यापन व्यवस्था उपजिलाधिकारी द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।

06. कतिपय कारणों से सस्ता गल्ला विक्रेता का लाइसेन्स निलम्बित एवं निरस्त होने के कारण उस विक्रेता से सम्बन्धित खाद्यान्न के निगर्मन एवं वितरण हेतु सम्बन्धित जिलाधिकारियों द्वारा किसी अन्य सस्ता गल्ला विक्रेताओं के साथ सम्बद्धीकरण आदेश निर्गत किये जाते हैं। आदेश निगर्मन के समय ही उस सस्ता गल्ला विक्रेता से इस बात का प्रमाण–पत्र ले लिया जाये कि वह जिस गांव का अतिरिक्त खाद्यान्न का निगर्मन प्राप्त कर रहा है, उसे वह गांव में किस स्थान पर ले जाकर वितरण करेगा। इस प्रमाण–पत्र में दिये गये तथ्यों को सम्बन्धित उपजिलाधिकारी सत्यापित करेंगे। गोदाम प्रभारी इस प्रकार के प्रमाण पत्र, जो उपजिलाधिकारी द्वारा सत्यापित हैं, के अतिरिक्त अन्य किसी भी सम्बद्धीकृत सस्ता गल्ला विक्रेता को खाद्यान्न के निगर्मन का कार्य नहीं करेंगे। यदि सस्ता गल्ला विक्रेता के प्रमाण–पत्र पर उपजिलाधिकारी के सत्यापन के बगैर गोदाम प्रभारी द्वारा खाद्यान्न का निगर्मन किया जाता है और खाद्यान्न की कालाबाजारी की स्थिति उत्पन्न होती है, तो गोदाम प्रभारी इसके लिए उत्तरदायी होगा और यदि उपजिलाधिकारी के सत्यापन न करने के कारण खाद्यान्न का निगर्मन नहीं होता है, तो सम्बन्धित उपजिलाधिकारी उत्तरदायी होंगे।

अतः आपसे अनुरोध है कि उपर्युक्त निर्देशों का अनुपालन अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से कराना सुनिश्चित करें तथा इसका नियमित अनुश्रवण भी करवायें। इसके लिए सम्बन्धित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को व्हाट्सएप ग्रुप भी बनवा लिये जायें।

भवदीय,

(एस0वी0एस0 रंगाराव)
आयुक्त,
देवीपाटन मण्डल,
गोण्डा।
o/c

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
01. आयुक्त, खाद्य तथा रसद विभाग, उ0प्र0 जवाहर भवन लखनऊ।
02. सम्भागीय खाद्य नियंत्रक, देवीपाटन सम्भाग,गोण्डा।
03. उपायुक्त(खाद्य) देवीपाटन मण्डल,गोण्डा।

18/07/17

आयुक्त,
देवीपाटन मण्डल,
गोण्डा।
o/c